पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़

उपरवारा, अटल नगर (छ.ग.)
(पूर्व नाम– छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय)
(छ.ग. अधिनियम क्र. 21/2008 द्वारा स्थापित)

दूरभाष/फैक्स:07712263234
ई–मेल: gopniya321@gmail.com

क्रमांक/35 / D.U.H.S./गोप./2026 रायपुर, दिनांक 19/1 /2026

प्रति,

अधिष्ठाता/प्राचार्य
विश्वविद्यालय से संबंद्ध समस्त
शासकीय एवं निजि महाविद्यालय
छत्तीसगढ़

विषयः– **केन्द्राध्यक्ष एवं वीक्षकों हेतु परीक्षा संबंधी निर्देश के संबंध में।**

उपरोक्त विषयानुसार लेख है कि विश्वविद्यालय द्वारा प्रायः यह देखा गया है कि परीक्षार्थियों द्वारा भरी गई रोल नंबर, नामांकन क्रमांक एवं अन्य जानकारियों में त्रुटि पायी गई है। अतः केन्द्राध्यक्ष एवं वीक्षको को निम्नानुसार निर्देश दिया जाता है कि–

1. वीक्षक (Invigilator) यह सुनिश्चित कर ले कि उत्तरपुस्तिका व ओ.एम.आर. शीट में परीक्षार्थी द्वारा रोल नंबर, नामांकन क्रमांक एवं अन्य प्रविष्टियां सही तरह से भर ली गई है। त्रुटि पाये जाने पर नियमानुसार विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही की जायेगी।
2. परीक्षा के समय वीक्षक अपना मोबाईल Silent Mode/ Flight Mode पर रखे। यह देखने में आया है कि वीक्षक अपनी मोबाईल में व्यस्त रहते है, जो कि उचित नही है।
3. वीक्षक परीक्षा कक्ष में साथ में बैठकर ऊंची आवाज में आपस में बातचीत न करें इससे परीक्षार्थियों को परेशानी होती है। यह देखा गया है कि वीक्षक परीक्षा हाल में आपस में बातचीत करते रहतें है, जो कि उचित नही है।
4. केन्द्राध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि वे सुनिश्चित कर ले कि वीक्षक के मोबाईल Silent Mode/ Flight Mode में है।
5. केन्द्राध्यक्ष उत्तरपुस्तिका व ओ.एम.आर. शीट को विश्वविद्यालय भेजने से पहले पुनः जांच कर लें कि परीक्षार्थी द्वारा भरी गई प्रविष्टियां सही है।

Kashyap
परीक्षा नियंत्रक
19.1.26

पृ0क्र0/36 / D.U.H.S./गोप./2026 रायपुर, दिनांक 19/1 /2026

प्रतिलिपि :–

1. माननीय कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक पं.दी.द.उपा.स्वा.वि.वि. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभारी वित्त/परीक्षा विभाग, पं.दी.द.उपा.स्वा.वि.वि. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

Kashyap
परीक्षा नियंत्रक 19.1.26